सं0सं0–9/आ0–04–64/2023

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, लखीसराय के पत्राक–21 दिनाक–04 01 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) रेफरल अस्पताल, बडहिया, लखीसराय (GRAD-100007/2016) दिनाक–29 07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा0 कुमारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 मे अन्तर्निहित प्रावधानो के अन्तर्गत विभागीय राकल्प सं0–530(9) दिनाक–17 05 2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) मे आरोप प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तद्पश्चात् विभागीय पत्राक–1775(9) दिनाक–22.12.2023 एव 223(9) दिनाक–06 02.2024 द्वारा डा0 कुमारी से द्वितीय कारण–पृच्छा की गई। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनाक–12 06.2024 को दैनिक समाचार पत्र मे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्तत द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 कुमारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव मे बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्राक–224 दिनाक–17 04 2025 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक–10 06.2025 को सम्पन्न मत्रिपरिषद् की बैठक मे मद सख्या–12 पर मत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा0 अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) रेफरल अस्पताल, बडहिया, लखीसराय को दिनांक–29 07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः—सकल्प की प्रति डा0 अनुपम कुमारी एवं सभी सबधितों को निबधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–64/2023(स्वा0) 648(9)/ **पटना, दिनांकः** 13.6.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मुंगेर प्रमंडल, मुगेर/सिविल सर्जन, लखीसराय/सबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डा0 अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) रेफरल अस्पताल, बडहिया, लखीसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/06/2025

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,3,5,7,8,10,17 एव 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/06/2025

सरकार के अवर सचिव।